davp 38117/11/0108/1617

HEAD OFFICE
Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board
29/20, Nemi Road, Dalanwala, Dehradun (Uttarakhand)
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)
Phone: (0135) 2658086; Fax: (0135) 2718092; E-mail: msukpcb@yahoo.com; Web:www.ueppcb.uk.gov.in

Dehradun, March 31, 2017

Ref: UEPPCB/HO/Gen-183-83/2017/

सूचना
उद्योग/औद्योगिक इकाई/संस्थान आदि हेतु।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सी0) संख्या-375/2012, पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 22.02.2017 को Primary Effluent Treatment Plant, Common Effluent Treatment Plant and sewage Treatment Plant की स्थापना एवं संचालन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2017 की प्रति राज्य बोर्ड की वेबसाईट - www.ueppcb.uk.gov.in/contents/view/8/80/ पर सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध है। **मा0 सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा पारित निर्णय के मुख्य अंश निम्नवृत हैं -

4. .... The industry requiring "consent to operate", can be permitted to run, only if its primary effluent treatment plant, is functional. We therefore consider it just and appropriate, to direct the concerned State Pollution Control Boards, to issue notices to all industrial units, which require "consent to operate", by way of a common advertisement, requiring them to make their primary effluent treatment plants fully operational, within three months from today. On the expiry of the notice period of three months, the concerned State Pollution Control Board (s) are mandated to carry out inspections, to verify, whether or not, each industrial unit requiring "consent to operate", has a functional primary effluent treatment plant. Such of the industrial units, which have not been able to make their primary effluent treatment plant fully operational, within the notice period, shall be restrained from any further industrial activity. This direction may be implemented by requiring the concerned electricity supply and distribution agency, to disconnect the electricity connection of the defaulting industry. We therefore hereby further direct, that in case the concerned State Pollution Control Boards make a recommendation to the concerned electrical supply and distribution agency/company, to disconnect electricity supply to an industry, for the reason that its primary effluent tratment plant is not funcltional, it shall honour such recommendation, and shall disconnect the electricity supply to such defaulting industrial concern, forthwith.

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित समस्त उद्योगों, वे उद्योग भी जिन्हें उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (Consent to Operate) प्राप्त है अथवा जो नये उद्योग जो राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to Establish) प्राप्त कर स्थापित किये जा रहे हैं यह सुनिश्चित करें कि उद्योग/औद्योगिक ईकाई में **Primary Effluent Treatment Plant** स्थापित किया गया हो एवं समुचित रूप से संचालित किया जा रहा हो।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित समस्त उद्योगों/औद्योगिक इकाईयों को निर्देशित किया जाता है कि वें दिनांक 21.05.2017 से पूर्व **Primary Effluent Treatment Plant** की स्थापना एवं क्रियाशील किया जाना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त राज्य बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों का निरीक्षण किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्योग/औद्योगिक ईकाई द्वारा स्थापित **Primary Effluent Treatment Plant** का समुचित रूप से संचालन किया जा रहा है। **उद्योग/औद्योगिक ईकाई जिनके द्वारा Primary Effluent Treatment Plant स्थापित एवं पूर्णतयाः संचालित नहीं पाया जायेगा उन उद्योगों को संचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी।**

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2017 के अनुपालन में समस्त **सम्बन्धित उद्योग/औद्योगिक ईकाई/संस्थान आदि उपर्युक्त सूचना को "राज्य बोर्ड का नोटिस" समझें एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन स-समय (दिनांक 21.05.2017 से पूर्व) सुनिश्चित करें।**

सदस्य सचिव

दिनांक 31.03.2017

02.04.2017 Hindustan Times

hindustantimes | nation | 20